

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक-एफ 4-9/2014/29-1

अटल नगर, दिनांक 23/03/2020


प्रति,

1. आयुक्त सह संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन
अटल नगर, नवा रायपुर
3. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह अप्रैल एवं मई, 2020 का नमक एवं शक्कर एकमुश्त वितरण कराए जाने के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-9/2014/29-1, दिनांक 22.03.2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। राज्य में COVID-19 के संक्रमण के प्रबंधन के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारकों को माह अप्रैल एवं मई, 2020 का चावल एकमुश्त माह अप्रैल, 2020 में उठाव हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त राशनकार्डधारकों में से अन्त्योदय प्राथमिकता एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारकों को चावल के साथ दो माह अप्रैल एवं मई, 2020 का नमक एवं शक्कर भी एकमुश्त वितरण किया जावे। उपरोक्त निर्णय के क्रियान्वयन के लिए संचालनालय द्वारा माह अप्रैल एवं मई, 2020 का शक्कर एवं नमक का आबंटन जारी किया जावे तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानों में दो माह के चावल के साथ-साथ नमक एवं शक्कर का भी भण्डारण सुनिश्चित किया जावे। उचित मूल्य दुकानों एवं इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से राशनकार्डधारियों को दो माह का चावल, शक्कर, नमक एकमुश्त वितरण का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे।


(मनोज कुमार सोनी) 23/03/2020
विशेष सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

पृ.क्रमांक-एफ 4-9/2014/29-1

अटल नगर, दिनांक 23/03/2020

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
3. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
6. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष सचिव 23/03/20

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग